न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :— 37 / 2021

ओमप्रकाश पुत्र मूलाराम जाति कुमावत, निवासी भैंसावता खुर्द, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।
— प्रार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, उपतहसील सिंघाना, तहसील बुहाना जिला झुन्झनु। — रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.04.2018 बमुकदमा उनवानी
सरकार बनाम ओमप्रकाश मुकदमा नम्बर 107 / 2017 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट

उपस्थितिः—

1 श्री अनवर खान, एडवोकेट ——— ———प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट—————अप्रार्थी की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 18.09.2023

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.04.2018 न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना प्रकरण संख्या 107 / 2017 उनवानी सरकार बनाम ओमप्रकाश के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि— पटवारी हल्का बुहाना ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि ग्राम भैंसावता खुर्द में राजकीय भूमि गैर मुमकिन जोहड़ नम्बर 268 रकबा 4.00 हैक्टर स्थित है में से 0. 08 हैक्टर भूमि ओमप्रकाश पुत्र मूलाराम जाति कुमावत निवासी भैंसावता खुर्द, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू ने अवैध रूप से छड़ी, बाड़, गोबर, खुड्डी कच्चा निर्माण कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को राज0 भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही दिनांक 05.04.2018 को निर्णय पारित कर दिया गया तथा अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखल किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। अपीलान्ट का कथन है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया। अपीलान्ट बी. पी. एल परिवार से है तथा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

अपीलान्ट एवं उसके पिता के पास किसी प्रकार की काश्त तथा बसासत योग्य भूमि नही है। अपीलान्ट भूमिहीन व्यक्ति है। अपीलान्ट विवादित भूमि पर अपने पिता के समय से ही झुपड़ी बनाकर मय परिवार आबाद चला आ रहा है। जिसमें अपीलान्ट के नाम से करीब 30 वर्ष पुराना पानी तथा बिजली का कनेक्शन है। अपीलान्ट के पूर्वजों का विवादित भूमि पर 80 वर्षो से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है। अपीलान्ट के जन्म के समय से पूर्व से ही अपीलान्ट का पिता विवादित भूमि पर रहता आ रहा है। इस प्रकार तथाकथित अतिक्रमण काफी पुराना है। मौके पर आबादी बसी हुई है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा हटाकर कुछ प्रभावशाली व्यक्ति पटवारी एवं तहसीलदार से साज कर काबिज होना चाहते है। अपीलान्ट का कथन है कि अगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाता तो वह निश्चित रूप से स्वयं या अपने अधिवक्ता के जरिये उक्त कार्यवाही का प्रतिवाद करता तथा अपने पक्ष में आवश्यक साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत करता। अपीलान्ट का कथन है कि अगर विवादित भूमि से उसको बेदखल कर दिया जाता है तो अपीलान्ट के पास अन्य कोई भूमि नही होने के कारण उसके बाल–बच्चे सड़क पर आ जायेगें और उसके परिवार को धूप व बरसात में खुले आसमान के नीचे रहना पड़ेगा। इसलिए नायब तहसीलदार सिंघाना के अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित उक्त निर्णय काबिले निरस्त है। अंत में अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना के निर्णय दिनांक 05.04.2018 प्रकरण संख्या 107/2017 उनवानी सरकार बनाम ओमप्रकाश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि :– पटवारी हल्का बुहाना ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि ग्राम भैंसावता खुर्द में राजकीय भूमि गैर मुमकिन जोहड़ नम्बर 268 रकबा 4.00 हैक्टर स्थित है में से 0.08 हैक्टर भूमि ओमप्रकाश पुत्र मूलाराम जाति कुमावत निवासी भैंसावता खुर्द, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू ने अवैध रूप से छड़ी, बाड़, गोबर, खुड्डी कच्चा निर्माण कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही दिनांक 05.04.2018 को निर्णय पारित कर दिया गया तथा अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखल किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की पत्नि पर नोटिस की तामिल मानी है। दिनांक 20.03.2018 को अपीलान्ट को न्यायालय में उपस्थित बताया है लेकिन आर्डरशीट में अपीलान्ट के हस्ताक्षर नही है। अपीलान्ट के तलबी नोटिस में कटिंग की गई है। इस प्रकार अपीलान्ट को प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का

अतिरिक्त

समुचित अवसर नही दिया गया। अपीलान्ट बी. पी. एल परिवार से है तथा अपीलान्ट एवं उसके पिता के पास किसी प्रकार की काश्त तथा बसासत योग्य भूमि नही है। अपीलान्ट भूमिहीन व्यक्ति है। अपीलान्ट विवादित भूमि पर अपने पिता के समय से ही झुपड़ी बनाकर मय परिवार आबाद चला आ रहा है। जिसमें अपीलान्ट के नाम से करीब 30 वर्ष पुराना पानी तथा बिजली का कनेक्शन है। अपीलान्ट के पूर्वजों का विवादित भूमि पर 80 वर्षो से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है। अपीलान्ट के जन्म के समय से पूर्व से ही अपीलान्ट का पिता विवादित भूमि पर रहता आ रहा है। इस प्रकार तथाकथित अतिक्रमण काफी पुराना है। मौके पर आबादी बसी हुई है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा हटाकर कुछ प्रभावशाली व्यक्ति पटवारी एवं तहसीलदार से साज कर काबिज होना चाहते है। अपीलान्ट का कथन है कि अगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाता तो वह निश्चित रूप से स्वयं या अपने अधिवक्ता के जरिये उक्त कार्यवाही का प्रतिवाद करता तथा अपने पक्ष में आवश्यक साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत करता। अपीलान्ट का कथन है कि अगर विवादित भूमि से उसको बेदखल कर दिया जाता है तो अपीलान्ट के पास अन्य कोई भूमि नही होने के कारण उसके बाल–बच्चे सड़क पर आ जायेगें और उसके परिवार को धूप व बरसात में खुले आसमान के नीचे रहना पड़ेगा। इसलिए नायब तहसीलदार सिंघाना के अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित उक्त निर्णय काबिले निरस्त है। अंत में अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना के निर्णय दिनांक 05.04.2018 प्रकरण संख्या 107/2017 उनवानी सरकार बनाम ओमप्रकाश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम भैंसावता खुर्द में राजकीय भूमि गैर मुमकिन जोहड़ खसरा नम्बर 268 रकबा 4.00 हैक्टर में से 0.08 हैक्टर भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है। प्रकरण में पटवारी हल्का बुहाना द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत किय जाने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित किया गया है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन जोहड़ है जो प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आता है। किसी भी परिस्थिति में गैर मुमकिन जोहड़ की भूमि का उपयोग बसासत हेतु नही किया जा सकता है। पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा पटवारी हल्का बुहाना की ग्राम भैंसावता खुर्द में राजकीय भूमि गैर मुमकिन जोहड़ खसरा नम्बर 268 रकबा 4.00 हैक्टर में से 0.08 हैक्टर भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण की रिपोर्ट पर विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किया जाकर निर्णय दिनांक 05.04.2018 पारित किया गया है। अपीलान्ट का कथन है कि उसकी पत्नि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झनूं

पर नोटिस की तामिल मानी गई है। नोटिस में कटिंग है, आदि। अपीलान्ट दिनांक 29.01.2018 को स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो चुका है। जो अधीनस्थ न्यायालय की आर्डरशीट पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर से साबित है। अतः तामिल के संबंध में कोई विवाद नही बचता है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन जोहड़ है जो प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आता है। किसी भी परिस्थिति में गैर मुमकिन जोहड़ की भूमि का उपयोग बसासत हेतु नही किया जा सकता है। इसके अलावा भी अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई जिससे विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा वैध साबित होता हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतित नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.04.2018 उनवानी सरकार बनाम ओमप्रकाश मुकदमा नम्बर 107/2017 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 18.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू